DD No. 12A Dt 28-9-24 Time 4:02 Am
Received From Shahreyar Khan
Received By SI Rattan Lal DO/Maurice Nagar
Marked for Enquiry to SI Ajay Kumar

सेवा में,
श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय
मौरिस नगर, दिल्ली

<u>विषय</u> :- FIR दर्ज कराने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी शाहरेयार खान S/o शाह आल. खान R/o B-62/A सिंगल स्टोरी, विजयनगर, दिल्ली Mob NO. 9772652011, कैंपस लॉ सेंटर (CLC) में L.LB. अंतिम वर्ष का छात्र हूँ।

आज दिनांक 27-09-24 को करीब 7:30 बजे शाम को छात्र मार्ग पर, मदर डेयरी के पास मौजूद था। छात्रसंघ चुनाव खत्म होने के पश्चात मैं अपने सहपाठियों एवं जूनियर्स से मेल-मुलाकात कर रहा था वहाँ पहले से मौजूद स्टाफ हम लोगों को बिना कुछ कहे लाठी डंडो के साथ गाली गलौच करते हुए धक्का देने लगे जिसपर मैंने आपत्ति की कि हम सभी को सही तरह से बोल दीजिए हम चले जाएँगे, ऐसी भेड़-बकरियों की तरह बर्ताव न करें क्योंकि हम यहाँ लॉ फैकल्टी में पढ़ाई करते है। इसपर वहाँ मौजूद पुलिस स्टाफ DCP की तरफ मुखातिब हुए, जिसपर DCP मनोज मीणा ने मुझे पकड़कर मारने-पीटने का आदेश दिया और कहा कि इसको मारके सीधा करो। वहाँ मौजूद पुलिस स्टाफ मुझे पकड़ कर मारते-पीटते हुए आगे बढ़ने लगे और कुछ दूर आगे जाकर जमीन पर गिरा दिया, फिर बूट और डंडे से मेरे सीने, सिर, कमर और दाहिने पैर पर जोर-जोर से मारने लगे जिससे मेरा

Shahreyar Khan

दम घुटने लगा और साँस लेना मुश्किल होने लगा
मुझे आँखो के सामने अँधेरा आ गया और कुछ
भी दिखना बंद हो गया। मैं कहता रहा कि मैं
बिमार हूँ मेरे सीने पर मत मारो मेरा ईलाज चल
रहा है, मेरी जान निकल जाएगी। मुझे क्यूँ मार रहे
हो, मेरी क्या गलती है, लेकिन वे नहीं रुके। कुछ
देर तक मुझे क्या हुआ, समझ आना बंद हो गया।
जब दुबारा थोड़ा होश सा आया तब वो मुझे
घसीटते हुए एक खड़ी बस की तरफ ले जा
रहे थे। जब मैंने बस में बैठने से मना किया
और बैठाए जाने का कारण पूछा तो एक पुलिस
वाला मुझे पहचानते हुए बोला कि - बैठ जा मुल्ले
नहीं तो तेरी सारी वकालत और नेतागीरी यहीं
निकाल दूँगा। मैंने बड़े - बड़े वकील पीटे हैं, अभी
तो तू पढ़ ही रहा है। तेरी औकात क्या है, तेरा
इंकाउंटर करते देर नहीं लगेगी। वहाँ बीच - बचाव
में हमारे फैकल्टी के प्रोफेसर श्री कृष्ण मुरलेसर
आए, उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि इन्हें छोड़ दें
वे नहीं माने फिर प्रोफेसर साहब के साथ मुझे जबरन
थाने ले आए। थाने आकर मैंने अपने लाए जाने
और मारपीट किए जाने और मोबाईल छीने जाने
कारण पूछा तो मुझे थाने से जाने को कहा गया,
जिसपर मैंने 112 नं पर डायल करके रिपोर्ट दर्ज
करने को कहा लेकिन कारवाई नहीं की गई। मेरे
साथ में मेरे साथी अन्नान को भी पुलिस वाले
जबरन थाने लाए थे कोई कारवाई न होने के
कारण लिखित शिकायत कर रहा हूँ, कि कृपया
मेरे साथ मारपीट करने वाले, मोबाईल छीनने
वाले, इंकाउंटर की धमकी देने वाले,

Shahryar Khan

मेरी धार्मिक पहचान को लेकर गाली देने वाले औ मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए उकसाने वाले अफसर व दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर विधि सम्मत कार्यवाही की जा सके।

दिनांक : 27/28-09-2024

समय : 03:36 AM, 28.09.2024

Shahreyar Khan

प्रार्थी :-

शाहरेयार खान

S/0 शाह आलम खान

R/0 E-6 4/A सिंगल स्टोरी

विजय नगर, दिल्ली।